न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
07 / 2021	प्रा0पत्र 111, 128 LRA	18.02.2021	12.03.2024

1. सुभाष पुत्र श्री सांवरमल जाति प्रजापति निवासी ग्राम सहजूसर हाल निवासी वार्ड न. 03 नया वार्ड नं. 02 पंखा रोड़ चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. शुभकरण पुत्र श्री जमनाधर जाति माली निवासी ग्राम सहजूसर हाल निवासी वार्ड नं. 54 गोयनका स्कूल के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजू पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी ग्राम सहजूसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. बैरबल पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी ग्राम सहजूसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. फुसाराम पुत्र रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सहजूसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सब्जीमंटी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम सहजूसर खसरा नम्बर 748 / 1647 तादादी 5.8047 है। प्रार्थीगण व गौण प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि का तहसीलदा चूरू द्वारा सीमाज्ञान करवाय गया दिनांक 18.06.2020 जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह कहा गया कि उक्त भूमि नाप तोल से कम पाई गई। प्रार्थीगण की कृषि भूमि अपनी खेत की उतर पश्चिम सींव क्षतिग्रस्त अस्पष्ट क्षीण पाई गई जिससे प्रार्थीगण ने उक्त [illegible] को कहा तो वे सींव पर झगड़ा आदि करने ले इसलिए उक्त अप्रार्थीगण को [illegible] 3 बनाया गया है क्योंकि खातेदार उतर पश्चिम में राजू व [illegible] हिस्से पाती काश्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कृषि भूमि का सीमा ज्ञान कराने के लिए प्रार्थना पत्र दि[illegible] मगर आज तक पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा सीमा ज्ञान नहीं किया गया, प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.

06.2021 को फॉर्म भरा और पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में यह कहा कि अप्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि उक्त नाप से कम पाई गई जिस कारण आपके न्यायालय में उक्त दावा लाया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण की कृषि भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी हो सके।

प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण सभ्य एवं भोले–भाले कृषक है मगर मौके पर प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर्जर व क्षीण हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थी के लिए सीमा ज्ञान आवश्यक हो गया है कि खसरा नं. 748/1647 तादादी 5.8047 हैक्टर रोही ग्राम सहजूसर तहसील व जिला चूरू (राज.) का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थगढ़ी) लगाने के लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण को तामील होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खसरा नम्बर 748/1647 तादादी 5.8047 हैक्टर रोही ग्राम सहजूसर तहसील व जिला चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थर गढ़ी) करवाये जाने हेतु निवेदन किया।

जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड खेत खसरा संख्या 748/164 रोही ग्राम सहजूसर में प्रार्थीगण खातेदार है।

रिपोर्ट पटवारी सहजूसर के अनुसार ग्राम सहजूसर के ख.नं. 748/164 तादादी 5.8047 हैक्टेयर भूमि की मौके पर जरीब चलाकर खातेदारों को सीमाज्ञान करवाया गया। वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 5.8047 हैक्टेयर भूमि से कम पई गई। उक्त भूमि के चिपते खसरों में वर्तमान में काश्त की हुई थी।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रकरण में हालांकि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है परन्तु खातेदार की कृषि भूमि मौके पर राजस्व रिकॉर्ड से कम है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेशों से खातेदारों के अधिकार व अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही ग्राम सहजूसर खसरा नम्बर 748/164 तादादी 5.8047 हैक्टेयर की नपती हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 12.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(सक्षम गोयल I.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:38:24 IST
Reason: SelfAttested